भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 629
16 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

रक्षा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार

629. श्री मनोज तिवारी:
श्री रवि किशन:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उपायों का लागत-बचत पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) निजी और सरकारी क्षेत्र से आईपीआर हेतु संस्थानों को आकृष्ट करने में रक्षा क्षेत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाइक)

(क) से (घ): वर्ष 2018 में, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा(आईपी) के सृजन हेतु एक समर्थकारी ढांचा

तैयार करने तथा बौद्धिक संपदा अधिकार(आईपीआर) के प्रबंधन हेतु **'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति(एमआरजीएस)'** कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है । एमआरजीएस कार्यक्रम के आरंभ से सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों(डीपीएसयू)/आयुध निर्माणियों(ओएफ) के कार्मिकों द्वारा कुल 1560 आईपी आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं । एक प्रमुख आईपीआर जागरुकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और 31 अगस्त, 2020 तक कुल 25000 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है । आईपीआर के संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के अंतर्गत एक नोडल बौद्धिक संपदा सुविधा प्रकोष्ठ(आईपीएफसी) की स्थापना की गई है । नवम्बर, 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माणियों में बौद्धिक संपदा के सृजन और बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रबंधन संबंधी एक व्यापक नीति लागू की गई है । डीपीएसयू और आयुध निर्माणियों में नवाचारयुक्त अनुसंधान ने कुछ पदार्थों, कलपुर्जों/असेम्बली/सब-असेम्बलीज के विकास को समर्थ बनाया है जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान प्रणालियों/प्लेटफार्म में कार्यनिष्पादन उन्नयन हुआ है और साथ ही आयात पर भारत की निर्भरता कम हुई है । आईपीआर के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों को आकृष्ट करने में सामना की गई कुछ चुनौतियों में आईपीआर फाइल करने से जुड़े अनिवार्य प्रकटीकरण के कारण रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधी वर्गीकृत सूचना के प्रकट होने का जोखिम का होना और आईपीआर उल्लंघन का सामना करना हैं।

****